



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3695]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3695]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4859(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड' नई दिल्ली, जोकि भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) अन्य सभी प्राप्त अनुदान, शुल्क, पेनल्टी प्रभार;
- (ग) पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड अधिनियमन, 2006 की धारा 38 एवं 39 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे सभी अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां;
- (घ) जमा पर अग्रिम ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्याधीन प्रभावी होगी कि 'पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड' नई दिल्ली, -

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 45 /2018/ फा. सं. 300196/6/2018-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव